राज्य
स्वास्थ्य
प्राधिकरण
उत्तराखण्ड

## "लाभार्थियों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)"

⇒ **राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (SGHS) क्या है और राज्य में कब से लागू हुई है ?**

- उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स एवं आश्रितों को सूचीबद्ध चिकित्सालयों में कैशलैस उपचार प्रदान करने हेतु सरकार स्वास्थ्य योजना (State Government Health Scheme-SGHS) प्रदेश में 01 जनवरी, 2021 से लागू है।

⇒ **SGHS योजना के अन्तर्गत कौन लाभार्थी होंगें ?**

- योजनान्तर्गत राज्य सरकार राजकीय कार्मिक/पेंशनर जिनके द्वारा योजना में बने रहने का विकल्प दिया गया है एवं उनके आश्रित।

⇒ **आश्रित का आशय क्या है ?**

- आश्रित की परिभाषा"**उत्तराखण्ड सेवानिवृत्त लाभ अधिनियम 2018**" में उल्लेखित है एवं मुख्य बिन्दु निम्नवत् है–
- राजकीय कार्मिक/पेंशनर्स स्वयं तथा यथास्थिति उनके पति/पत्नी, जो उन पर आश्रित हों।
- उनके 25 वर्ष की आयु सीमा तक के पुत्र/पुत्री, जो उन पर आश्रित हों।
- राजकीय कार्मिक/पेंशनर्स के अविवाहित/तलाकशुदा/परितक्यता/विधवा पुत्री बिना किसी आयु सीमा के, जो उन पर आश्रित हों।
- राजकीय कार्मिक के माता–पिता, यदि उन पर आश्रित हों।
- ऐसे आश्रित पुत्र/पुत्री जो मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है तथा मेडिकल बोर्ड द्वारा 40 प्रतिशत दिव्यांगता हेतु प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

⇒ **SGHS कार्ड बनाने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ?**

- SGHS कार्ड बनाने के लिए कर्मचारी कोड/GRD No.और KYC हेतु आधार कार्ड की आवश्यकता होती है।

⇒ **नई पेंशन स्कीम से सेवानिवृत के लिए क्या व्यवस्था है ?**

- 10 वर्ष की सेवा के पश्चात् योजना का कार्ड वार्षिक अंशदान देकर प्राप्त कर सकते है अथवा 10 वर्ष का अंशदान एक मुश्त दिये जाने पर आजीवन गोल्डन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

⇒ **योजना के अन्तर्गत अंशदान कटौती की धनराशि का विवरण क्या है?**

- सातवें वेतन आयोगके अनुसार लेवल 01 से 05– 250/–, लेवल 06– 450/–, लेवल 07 से 11–650/– एवं लेवल 12 एवं उच्चतर में 1000/–प्रति माह।

⇒ **योजना के अन्तर्गत शैय्या की उपलब्धता किस आधार पर होगी, विवरण उपलब्ध करायें ?**

- योजना के अन्तर्गत सातवें वेतनमान में वर्णित लेवल के अनुसार 1 से 5 तक सामान्य बेड, लेवल 6 हेतु सेमी प्राइवेट बेड, लेवल 7 से 11 हेतु प्राइवेट बेड एवं लेवल 12 एंव उच्चतर हेतु डीलक्स बेड अनुमन्य है।

SGHS

⇒ **राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत ओ0पी0डी0 (OPD) के भुगतान की प्रतिपूर्ति की दरें क्या है ?**

- योजना के अन्तर्गत ओ0पी0डी0 (OPD) में उपचार कराये जाने पर चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की व्यवस्था केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS)की दरों के अनुसार की जाती है।

⇒ **ओ0पी0डी0 उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया क्या है ?**

- ओ0पी0डी0 भुगतान हेतु प्रतिपूर्ति दावे राजकीय चिकित्सालयों से सत्यापन के उपरान्त सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आदेश के आधार पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा भुगतान होंगे।

⇒ **चिकित्सा उपचार के लाभार्थी द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दावों को प्रस्तुत करने की क्या कोई समय–सीमा है, यदि हाँ तो कितनी ?**

- लाभार्थी को उपचार समाप्ति के 6 माह के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय विभाग/स्वीकर्ता अधिकारी को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करना होगा।

⇒ **प्रदेश से बाहर उपचार कराने हेतु क्या लाभार्थी को सरकारी चिकित्सालय से रेफर कराना आवश्यक है ?**

- हाँ, लेकिन आकस्मिकता की स्थिति में रेफर कराना आवश्यक नहीं है।

⇒ **प्रदेश से बाहर कार्यरत होने की स्थिति उपचार हेतु रेफरल कराने उत्तराखण्ड आना होगा ?**

- रेफर कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

⇒ **योजना स्वायत्ताशासी निकाय, निगमों, प्राधिकरणों, विश्वविद्यालय तथा अनुदानित संस्थाओं के कार्मिकों पर लागू है ?**

- हाँ, यदि सम्बन्धित निकाय योजना को अपनी शीर्ष संस्था से अनुमोदित कर योजना को अंगीकृत करें।

⇒ **आयुष पद्धति के चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कब से प्रभावी है?**

- 31 मार्च 2023 से ।

⇒ **आई0पी0डी0 चिकित्सा उपचार में लाभार्थी द्वारा किये गये व्यय के दावों के परीक्षण /प्रतिहस्ताक्षरण तथा स्वीकृति किन स्तरों पर की जाती है ?**

- आई0पी0डी0–गैर सूचीबद्ध चिकित्सालय में कराये गये उपचार एवं परामर्श के परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षरण तथा स्वीकृति के स्तर का विवरण निम्नानुसार है:–

| क्र. सं. | प्रतिपूर्ति दावे की अधिकतम धनराशि | स्वीकर्ता अधिकारी | प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी (ओ0पी0डी0/आई0पी0डी0) |
|---|---|---|---|
| 1. | रू. 1.5 लाख | कार्यालयाध्यक्ष | जिला/उप जिला चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी /मुख्य चिकित्साधीक्षक/इस हेतु नामित अधिकारी (प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी) |
| 2. | रू. 1.5 लाख से रू. 3.00 लाख तक | कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो। | निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डल। |
| 3. | रू. 3.00 लाख से रू. 5.00 लाख तक | विभागाध्यक्ष | महानिदेशक/निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून। |
| 4. | रू. 5.00 लाख अधिक | प्रशासकीय विभाग | तदैव। |

⇒ **आयुष पद्धति में उपचार की स्थिति में चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे कौन सत्यापित करेगा ?**

- निदेशक, आयुर्वेद / होम्योपैथ / यूनानी / सिद्धा / नेचुरोपैथी से सत्यापन किया जाना है।

⇒ **अन्य राज्य में उपचार लेने की स्थिति में चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को प्रति हस्ताक्षरित कौन करेगा ?**

- चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को प्रति हस्ताक्षरित उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक / निदेशक (मण्डल) / स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा किया जाना है।

⇒ **योजना के पात्र लाभार्थी का उपचार के दौरान मृत्यु होने पर उनके चिकित्सा उपचार के दावों की प्रतिपूर्ति कैसे की जानी है ?**

- Nominee / वारिस / Spouse को प्रतिपूर्ति की जायेगी।

⇒ **यदि Opt.Out विकल्प भरने के बाद भी त्रुटिवश कटौती हो जाती है तो धनराशि वापिस कैसे होगी ?**

- पेंशनर द्वारा दिये गये विकल्प पत्र / कटौती के सत्यापन के पश्चात् यदि Opt.Out की तिथि से अतिरिक्त कटौती होती है तो उक्त धनराशि वापस की जायेगी।

⇒ **SGHS कार्ड खो चुका है और कार्ड पंजीकृत मोबाइल नंबर से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है ?**

- आवेदक की मेल आई0डी0 लेकर कार्ड आवेदक को मेल किया जाता है।

⇒ **पंजीकृत मोबाइल नंबर अपडेट / KYC न होने के कारण उपचार लेने में समस्या उत्पन्न हो रही है ?**

- मोबाइल नंबर संबंधित अस्पताल में आयुष्मान मित्र के द्वारा अपडेट करा सकता है।

⇒ **राज्य के बाहर निवास करने वाले उत्तराखण्ड के पेंशनर्स अपने चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे कैसे प्रस्तुत करेंगे ?**

- मूल दावा अपने डी0डी0ओ0 को भेजा जाना हैं।

⇒ **गोल्डन कार्ड धारकों का KYC अपडेट कैसे होता है ?**

- KYC अपडेट करने हेतु सरकारी एवं निजी सूचीबद्ध चिकित्सालय के आरोग्य मित्र से संपर्क कर सकते हैं।

⇒ **भर्ती के दौरान TMS स्क्रीन पर स्कीम प्रदर्शित नहीं हो रही है ?**

- संबंधित अस्पताल के आरोग्य मित्र द्वारा TMS स्क्रीन का Screenshot प्राधिकरण के आई.टी. प्रकोष्ठ की ई–मेल आई.डी.dirit-shauk@uk.gov.in पर प्रेषित किया जाय। आई.टी. प्रकोष्ठ निराकरण कर संबंधित अस्पताल / लाभार्थी को सूचित करेंगे।

⇒ **सूचीबद्ध अस्पताल में उपचार के दौरान TMS स्क्रीन पर कार्मिक/पेंशनर्स का लेवल प्रदर्शित नहीं हो रहा है ?**

- अस्पताल के आरोग्य मित्र द्वारा TMS स्क्रीन का Screenshot प्राधिकरण के आई.टी. प्रकोष्ठ की ई–मेल आई.डी. dirit-shauk@uk.gov.in पर प्रेषित किया जाय। आई.टी. प्रकोष्ठ निराकरण कर संबंधित अस्पताल / लाभार्थी को सूचित करेंगे।

⇒ **प्राधिकरण द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल "Return to DDO" के बाद भी डी.डी.ओ. के लॉगिन में प्रदर्शित नहीं हो रहा है ?**

- लाभार्थी डी.डी.ओ. (आहरण वितरण अधिकारी) अथवा टोल फ्री नं0 8899890000 पर कॉल कर सकते हैं।

SGHS

⇒ डी0डी0ओ0 द्वारा बिल अपलोड किये जाने के पश्चात् बिल की स्थिति कैसे पता चलेगा?

- राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की वेबसाइट www.sha.uk.gov.in के SGHS Section के लॉगिंन करें।

⇒ बिल अपलोड करने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रही है क्योंकि बिलों का साइज **5MB** से अधिक है ?

- PDF File को compressed करने के उपरान्त अपलोड किया जाना है।

⇒ यदि लाभार्थी द्वारा स्वयं बिलों को अपलोड करने पर स्क्रीन पर **Self**/आश्रित प्रदर्शित नहीं हो रहें हैं ?

- परिवार का विवरण पोर्टल में दर्ज हैं/नहीं जांच लें एवं डी0डी0ओ0 द्वारा E-Sign से Approve करें।

⇒ अंशदान जमा होने पर भी पोर्टल में प्रदर्शित न होने केकारण उपचार लेने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है ?

- यदि अंशदान वेतन/पेंशन से काटा गया है तो सम्बन्धित कोषागार से सम्पर्क किया जाय तथा Online माध्यम से स्वयं जमा किया गया है तो Order receipt/Transaction ID प्राधिकरण के आई.टी. प्रकोष्ठ की ई–मेल आई. डी.dirit-shauk@uk.gov.in पर भेजे।आई.टी. प्रकोष्ठ निराकरण कर संबंधित अस्पताल/लाभार्थी को सूचित करेंगे।

⇒ **SGHS** के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत/सुझाव कैसे दर्ज करायी जाये ?

- प्राधिकरण की ई–मेल आई0डी0 support-shauk@uk.gov.in पर दर्ज करायी जा सकती है।

⇒ पेंशनर द्वारा **Opt.Out** विकल्प भरने के बाद योजना में फिर से शामिल होना चाहता है ?

- वर्तमान में इस प्रकार का विकल्प उपलब्ध नहीं हैं।

⇒ योजना हेतु सूचीबद्ध चिकित्सालयों की सूची (उत्तराखंड/उत्तराखंड से बाहर) कैसे प्राप्त की जा सकती है ?

- राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की वेबसाइट www.sha.uk.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।

⇒ **SGHS** में कार्मिक/पेंशनर्स के आश्रितों को कैसे सम्मलित किया जा सकता है ?

- SGHS कार्ड में आश्रितों की सूची दर्ज करने हेतु डी.डी.ओ.से फैमिली डाटा स्वीकृत कराना होता है।

⇒ लाभार्थी **SGHS** कार्ड कहाँ बनवा सकता है ?

- लाभार्थी द्वारा कार्ड किसी जनसेवा केन्द्र, यूटीआई केन्द्र या किसी सरकारी एवं निजी सूचीबद्ध चिकित्सालय में आयुष्मान मित्र के द्वारा बनवा सकते हैं।

⇒ लाभार्थी द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का स्टेटस कैसे देख सकते है ?

- राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की वेबसाइट www.sha.uk.gov.in के SGHS sectionपर देखें।

⇒ पूर्व में कर्मचारी एवं वर्तमान में पेंशनभोगी हैं तो **employee code or GRD No.** मैप कहां से कराऐं?

- संबंधित कोषागार से सम्पर्क करें।

संम्पर्क सूत्रः–

- dirit-shauk@uk.gov.in
- dirfinance-shauk@uk.gov.in
- support- shauk@uk.gov.in
- Toll free no. 155368